

कार्यालय,

राष्ट्रीय प्रौद्योगिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ

संख्या- प्राविष/परिषद नाम/दस्तावेज/2021/3537

लखनऊ दिनांक 09/01/2021

(आवृत्तिय शेष)

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली (पारमर्शो कायदकित और इन्स्ट्रुक्शन, नई दिल्ली द्वारा संश्लेषण सं. 2021-22 हेतु विनियोग राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा परिषदों को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्रौद्योगिक शिक्षा परिषद, लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 09/01/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति को बैठक संवह हुई। बैठक में समिति द्वारा सं. 2021-22 हेतु आवृत्तिय नई संस्थाओं की सम्बद्धता पूर्व से संपर्कित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सं. 2021-22 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान करने का निर्णय किया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में शिरो गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्रौद्योगिक शिक्षा परिषद, लखनऊ द्वारा सं. 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान किया गया है-

संस्था का कोड एवं नाम : 4022-PRASAD INSTITUTE OF TECHNOLOGY PUNCH-HATIA SADAR, JAUNPUR-222001

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० द्वारा सं. 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सं. 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	09	09

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों एवं पूर्विक प्रदान कियेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्रौद्योगिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्रौद्योगिक शिक्षा परिषद विनियमन-1992, मेमबरा नियमन-2016 तथा अन्य निर्धारित नियमों एवं शर्तों का अनुपालन करेगी तथा मुक्त विधायक समिति द्वारा निर्धारित मुक्त तीन वर्षीय इन्पूठ पाठ्यक्रमों हेतु सं. 20150-00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय तकनीकी पाठ्यक्रम हेतु सं. 45000-00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय तकनीकी पाठ्यक्रम के अधीन) हेतु सं. 22500-00/- प्रतिवर्ष मुक्त ही प्रत्येक छात्रछात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अधीनका छात्रछात्राओं से मुक्त के संग्रह में संग्रह-संग्रह पर ध्यान द्वारा निर्धारित नियमों वाले सासन्देश सम्बन्धी होंगे, और अनुपालन करेगी/करेगी किया जाना आवश्यक होगा। प्रवेश निर्धारण समिति द्वारा सं. 2021-22 हेतु प्रवेश का पुनर्विचारण किया जात है, जो प्रवेश की नवीनतम दरें लागू होगी।
- ✓ संस्था को (उपरोक्त प्रौद्योगिक शिक्षा समितियों) तथा उप संश्लेषण, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना विनियमन-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में सदृश प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवृत्तिय (शर्तों को ही प्रवेश हेतु) जायेगा। शीर्षों के विषय यह जाने की शर्तों में उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था की संस्था-संस्था पर निर्धारित सासन्देश के अनुसार निर्देशन एवं सम्बद्धता मुक्त कर्म करेगा होगा।
- ✓ संस्था को ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० से भाग्यनी सा सं. अनुमोदन प्रदान किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाये गये विधिनियमों/अधिनियमों/सासन्देशों/निर्देशों एवं निर्देशक प्रौद्योगिक शिक्षा



- ✓ उदर, साक्षा प्रवेश परीक्षा परिषद, उदर प्राविधिक शिक्षा परिषद, उदर इत्यादि कन्वये क्वे गिजने, डिग्रीजने, अडेसने, निर्देशने का प्रदान करने के लिये कार्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन कार्पेसी पाठ्यक्रम की संस्था यदि वे सी आई नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ रहती है तो इस संस्था में समस्त उपाध्यायिक संस्था का होगा और शिक्षिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संस्कृत प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उदर प्रदेश सरकार को कोई कार्य प्राप्त किया जाता है तब तब तब के संस्था में या न्यायालय द्वारा किसी अन्तर्गत की प्रतिक्रिया करने अडेस निर्देश किया जाता है तो समस्त प्रतिक्रिया संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन कार्पेसी पाठ्यक्रम संपन्न करने वाली संस्थाओं को साक्षा प्रवेश परीक्षा परिषद, उदर प्रदेश उदर उदर इत्यादि प्रवेश वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु कार्यनिर्देश प्राप्त होने के पूर्व सीआईआईटी से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यवाही को उत्पन्न करना होगा अन्यथा उदर प्रदेश की कार्यनिर्देश के माध्यम से अपना संस्था का पर सीई प्रवेश अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उदर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनताम आदेश्य निर्देश का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की घोषणात्मक सूत्रि भूमि, स्टाफ, आक-संख्या, उपाध्याय, प्रशासक कर्मचारी, छात्रावास सुकरा, आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रक्रिया हेतु उपयुक्त आवागमन उपलब्ध करने के साथ टैरिफ टोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में उच्चशिक्षण सन्निधि पाठ्यक्रम को चलाने वाले हेतु निर्देशन समिति के समस्त उपाध्याय कर्तव्य एवं अधिदेश, भूमि-भवन, पर्यावरण, उपाध्याय इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उदर उदर का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रहा है तो उदर संस्था को सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्थलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, पर्यावरण, उपाध्याय एवं अन्य आवश्यक सूत्रि/संसाधन/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था को सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता कार्य का अनुपालन न किये जाने आका कार्य का उत्पन्न किया जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुपालन/कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार मोहनकर)

सचिव

पुत्रां- प्राविधिकपरिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/05/2021

प्रतिष्ठित

प्रशासक/निदेशक, PRASAD INSTITUTE OF TECHNOLOGY PUNCH-HATIA SADAR, JAUNPUR-222001



(सुनील कुमार मोहनकर)

सचिव



कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या- प्राविप/परिषद सम्बद्धता/2022/9437

लखनऊ दिनांक 27/09/2022

:-कार्यालय जाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा सैद्धिक सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा सार्वीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 27/09/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4022-PRASAD INSTITUTE OF TECHNOLOGY

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992, विनियमावली-2000, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु रू० 30150 00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रू०- 45000 00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रू०-22500 00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्रछात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्रवाई किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।



- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनदेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।
- ✓ यदि संस्थान का ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में वा, न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु आयोजित काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार पर/सीधे प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएँ जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, राज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित संघटित पाठ्यक्रम को चलाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, कर्नोवर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था के औपिक स्थलीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य राज-सज्जा ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई०/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।


(ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई०)

सचिव

पृ०सं०- प्राविप/परिषद सम्बद्धता/2022/9438-9411

दिनांक: 27/09/2022

प्रतिनिधि-

प्रधानाचार्य/निदेशक, PRASAD INSTITUTE OF TECHNOLOGY


(ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई०)
सचिव



